पानी की कहानी

पानी के पास ठौर-ठिकाना बनाने और उसे बूंद-बूंद सहेजने वाली हमारे पूर्वजों की जल संस्कृति को आज हम तिलांजलि दे चुके हैं। तभी तो आज हम सब इस अनमोल संसाधन की कमी से हलकान हैं। समस्या दोहरी है। एक तो पेयजल है नहीं, जो है उसका रूप-रंग और स्वाद तेजी से बदल रहा है। ये दोनों काम उसके सबसे बड़े ग्राहक यानी इंसान कर रहे हैं। जो जितना समृद्ध है, वह उतना ही बेपानी हुआ जा रहा है। सारा वैभव, ऐशोआराम हासिल लेकिन पानीदार होना नसीब नहीं हो रहा। शायद प्राकृतिक संसाधनों के साथ समृद्धि पाने का तरीका अपनाने में दुनिया पिछड़ गई। गर्मियों की बात छोड़िए, पानी की किल्लत बारहमासी बन चुकी है। बेपानी होती दुनिया में साल दर साल हमारी आंखों का पानी भी मरता जा रहा है। कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। मौका अभी है। सुधरने का और सुधारने का। पानी को अनमोल समझने का और समझाने का। संकल्प लेने का संकल्प दिलाने का। हर बात में हम पूर्वजों के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। आइए, जनहित जागरण अभियान के तहत बूंद-बूंद पानी बचाने के संकल्प के साथ पानीदार बनने की राह पर चलें।

बचाने के अलावा नहीं है विकल्प

असित के बिस्वास
विजिटिंग फैकल्टी, ली कुआन यीव स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

उदिशा सकलानी
स्वतंत्र पॉलिसी रिसर्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

सिसीलिया टॉर्टजादा
सीनियर रिसर्च फेलो, इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

भारत जल संकट के उस दौर से गुजर रहा है जिसे इससे पहले की पीढ़ी ने देखा ही नहीं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि आक्रामक तरीके से जल संरक्षण किया जाए क्योंकि हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।

प्राचीन काल से ही भारत का जल प्रबंधन मॉडल जल की बढ़ती उपलब्धता पर ही आधारित रहा है। लिहाजा जब आबादी 1.3 अरब पर पहुंची तो प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घटती चली गई। ऐसे में देश को पर्यावरण के अनुरूप, किफायती दामों में जलापूर्ति बढ़ाने का मौका ही नहीं मिला। 2022 तक भारत की जनसंख्या चीन की आबादी को पार कर जाएगी। 2050 तक इसके 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी आबादी के भरण-पोषण के लिए आने वाले दशकों में अनाज की पैदावार बढ़ानी होगी। इसके लिए अधिक से अधिक जल चाहिए जो कि जाहिर है देश के पास नहीं है। इस स्थिति से उबरने के लिए देश को लीक से हटकर व्यावसायिक समाधान की जरूरत है। हालांकि जल स्रोतों और दूषित जल प्रबंधन के विषय को नजरअंदाज कर जल उपलब्ध कराने के व्यवसाय को बिलकुल आम तरीके से ही चलाया जा रहा है। इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, मांग प्रबंधन और जल संसाधनों का कुशलता पूर्वक इस्तेमाल। हालांकि ये समाधान केवल भाषणों तक ही सीमित रह जाता है।

हाल ही में बने नेशनल वॉटर फ्रेमवर्क (2016) में जल संरक्षण और इसके कुशलतापूर्वक इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। यह ठीक वैसा ही है जैसा 1987 और 2012 की राष्ट्रीय जल नीति में कहा गया था। हालांकि इनसे स्थिति में खास बदलाव नहीं हुआ। समय-समय पर सरकारें जल संरक्षण और संसाधनों के कुशल प्रबंधन के फायदों का राग अलापती आई हैं। हकीकत में जमीनी स्तर पर बेहद मामूली सफलता हाथ आई है। बस एक बार मानसून में देरी हो जाए तो देश में जल प्रबंधन की कलई खुल जाती है। जल संसाधनों के प्रबंधन में भारत की सबसे बड़ी चूक है पिछले 50 वर्षों से भ्रमित करने वाली देश की भूजल नीति। कृषि समृद्ध पंजाब में किसानों के लिए बिजली निशुल्क है। नतीजतन वहां भूजल का अत्यधिक दोहन किया गया जिससे सिंधु मैदानी क्षेत्र के कई इलाकों में प्रत्येक तीन साल में भूजल स्तर एक मीटर घट जा रहा है। नासा के मुताबिक सिंधु का मैदानी इलाका दुनिया का दूसरा ऐसा एक्वेफर यानी भूजल जलदायी परत है जिसपर सबसे अधिक दबाव है। जल बंटवारे को लेकर राज्यों के आपसी झगड़े भी केवल आपूर्ति केंद्रित सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे सभी विवाद केवल इस मांग पर आधारित हैं कि राज्यों को अधिक से अधिक जल आवंटन किया जाए। हर पक्ष पानी को ऐसे संसाधन के तौर पर देखता है जिसका अधिक से अधिक फायदा उठाया जा सके। इस बात पर शायद ही कभी ध्यान दिया गया हो कि किस तरह मांग प्रबंधन और जल संरक्षण के जरिए संसाधनों को अपने-अपने राज्य में संरक्षित किया जाए।

कर्नाटक का मामला ही ले लीजिए। नदी जल बंटवारे को लेकर इसका अपने पड़ोसी राज्यों से झगड़ा है। हालत ये है कि बदतर जल प्रबंधन के चलते राज्य में मौजूद अन्य सतह के जल स्रोत भी खत्म होते जा रहे हैं। राज्य की कृषि नीति का ये हाल है कि वहां गन्ने जैसी नकदी फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है जो अधिक पानी में ही पैदा होती है। और तो और राज्य की अधिकांश नदियां रसायनों के चलते जहरीली हो चुकी हैं। बेंगलुरु की झीलों में तेल और ग्रीस की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि इनमें आग लग जाती है। बढ़ती मांग के साथ ही आने वाले दशकों में जल विवाद और विभिन्न राज्यों के बीच जल बंटवारे के लिए झगड़ों में इजाफा होगा। प्रत्येक राज्य ज्यादा से ज्यादा पानी चाहता है जो कि असंभव है। दरअसल एक सीमा के बाद नदियां भी जल नहीं उपलब्ध करा सकतीं। विभिन्न राज्यों के बीच होने वाली बातचीत में कभी भी नदियों में प्रदूषण कम करना और मांग प्रबंधन प्राथमिकता नहीं बनते। नदियों को आपस में जोड़ने जैसी बड़ी परियोजना इन्हीं मुद्दों पर आधारित है। जबकि राष्ट्रीय जल नीति मांग प्रबंधन पर आधारित है, इसके बावजूद सरकारें विभिन्न स्तर पर आपूर्ति आधारित समाधान के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती हैं।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारें इस मोर्चे पर असफल हुई हैं वहीं निर्दोष लोग महज मूक दर्शक बने जल संकट देख रहे हैं। अगर हम नई दिल्ली और कोलकाता में रहने वालों का औसत प्रति व्यक्ति जल इस्तेमाल देखें तो पाएंगे कि यह डेनमार्क, सिंगापुर, लीपजिग, बार्सीलोना, जरागोजा की तुलना में दोगुना है। बड़े शहरों के अधिकांश इलाकों में जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइनों की गैर-मौजूदगी में रिसाव, पानी की चोरी और बर्बादी जल प्रबंधन में कमियों को दर्शाती है। इसके चलते शहरों में 40 से 50 फीसद पानी बर्बाद हो जाता है। भारत के अधिकांश इलाकों में वेस्टवाटर मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। थर्ड वर्ल्ड सेंटर फॉर वॉटर मैनेजमेंट के मुताबिक देश में केवल 10 फीसद गंदे पानी का ही शोधन किया जाता है जिसकी वजह से जल स्रोतों में प्रदूषण बढ़ रहा है। शहरी इलाकों में तो ये समस्या काफी गंभीर हो चुकी है।

जैसे-जैसे भारतीयों का जीवन स्तर सुधरेगा, जल खपत बढ़ेगी। औद्योगिक विकास के साथ बिजली, पानी की मांग बढ़ रही है। ऐसे में भविष्य में हमें और पानी की जरूरत पड़ेगी। 2050 तक देश में 40 करोड़ लोग और होंगे। इन सभी लोगों को जीवनयापन करने के लिए खाने, पेयजल, बिजली और रोजगार की जरूरत पड़ेगी।

इन्होंने समझा पानी का मोल

जापान का प्रयोग

टॉयलेट फ्लश करने में पानी की सबसे अधिक बर्बादी होती है। फ्लश टैंक के आकार के आधार पर प्रत्येक फ्लश के साथ पांच से सात लीटर पानी बर्बाद होता है। इसे रोकने के लिए जापान ने एक नवोन्मेषी तरीका अपनाया। वहां की एक कंपनी ने शौचालय के फ्लश टैंक के ऊपर ही हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन लगवा दिए। इससे हाथ धोने के बाद ये पानी फ्लश टैंक में चला जाता है और टॉयलेट फ्लश करने के लिए इस्तेमाल होता।

टॉयलेट टू टैप

पिछले कई वर्षों से अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया सूखे की चपेट में है। इससे निजात पाने के लिए स्थानीय निकाय ने टॉयलेट टू टैप नाम से वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट की एक परियोजना शुरू की। परियोजना के तहत लोगों के घरों से निकलने वाले दूषित जल का सौ फीसद शोधन होता है। तीन प्रक्रियाओं के जरिए दूषित जल को पीने लायक पानी में बदला जाता है। यह संयंत्र सीवेज से रोजाना 37 करोड़ लीटर शुद्ध जल बना रहा है। यह पानी शुद्धता के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है।

नदी में फूंक दी जान

दक्षिण भारतीय राज्य केरल में एक नदी है कोटम्परूर। एक दशक पहले जो नदी 12 किमी लंबी और सौ मीटर चौड़ी हुआ करती थी वह प्रदूषण और रेत खनन माफिया के चलते अब खत्म होने की कगार पर थी। नदी को सुधारने के लिए ग्राम पंचायत ने पहल की। मनरेगा योजना के तहत 700 लोगों ने 70 दिन लगातार काम किया। लोगों ने नदी में जमा प्लास्टिक और कूड़ा-कचरा गहराई में जाकर निकाला। नदी की धार अवरुद्ध कर रहे शैवाल और पेड़ पौधे निकाले गए और यह नदी अपने पुराने स्वरूप में लौट आई।

बिन जल भयावह कल

4,000 घन किमी
देश में सालाना होने वाली वर्षा

1,123 घन किमी
उपयोग करने लायक उपलब्ध वर्षा जल (690 घन किमी सतही जल और 433 घन किमी भू-गर्भ जल)

1,869 घन किमी
वर्षा जल नदियों में बह जाता है

17.1%
विश्व की आबादी में भारत की हिस्सेदारी

4%
वैश्विक जल उपलब्धता में देश की हिस्सेदारी

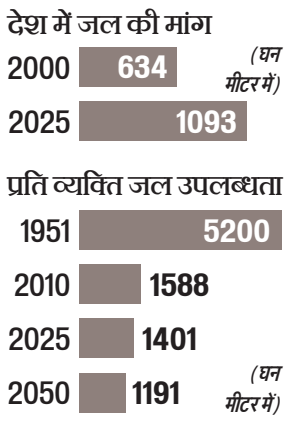

जल उपक्रम बनाने पर दिया जाए जोर

भरत शर्मा
वैज्ञानिक, इंटरनेशनल वॉटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट

यदि सही बिजनेस मॉडल बनाया जाए तो जल संरक्षण का क्षेत्र विकास के कई अवसर पैदा कर सकता है। इससे लोगों के लिए पेयजल के साथ बेहतर जीवन जीने के रास्ते खुलेंगे।

जल संरक्षण के मामले में इजरायल दुनिया का शीर्ष देश है। यह जल आंत्रप्रेन्योरशिप या जल कंपनी बनाने का सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि यहां जल के स्रोत चाहे वो भूजल हो, सतह पर मौजूद जल हो या दूषित जल, सभी पर सरकार का अधिकार है। इन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए निजी व सार्वजनिक दोनों ही उपक्रमों की मदद ली जाती है। भारत में स्थिति एकदम अलग है। यहां सिर्फ 10 से 15 फीसद जलीय स्रोतों पर सरकार का आधा-अधूरा नियंत्रण है। शेष सभी स्रोत लोगों के उपयोग व दुरुपयोग के लिए खुले हैं। इसके चलते पानी की बर्बादी होती है, आपसी विरोध बढ़ता है और अराजकता फैलती है। देश में पानी का मुद्दा राज्यों के अधीन आता है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक राष्ट्रीय जल नीति है और कुछ राज्यों में राज्य जल नीति भी है। हालांकि इनके क्रियान्वयन के लिए एक भी केंद्रीय या राज्य स्तरीय जल कानून नहीं है, जो जल संरक्षण व जल के उपयुक्त इस्तेमाल की नीति को लागू कर सके।

ऐसी स्थिति में क्या यह मुमकिन है कि भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया जल आंत्रप्रेन्योरशिप का कोई तरीका टिकाऊ जल संरक्षण का रास्ता दिखा सके? फिलहाल बड़े स्तर पर निजी व सार्वजनिक उद्योग जल संरक्षण की परियोजनाओं को अपने सप्लाई-चेन वॉटरशेड के पास ही लगा रहे हैं, जिससे कि उनकी कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सामाजिक हित में योगदान देने की उनकी प्रतिबद्धता पूरी हो सके। ये और बात है कि इन उद्योगों ने कभी भी जल संरक्षण को खुद एक उपक्रम नहीं माना। यह सच ही है कि कमजोर जल कानून, सरकार के अधूरे नियंत्रण, जल को निजी संपत्ति समझने वाली बड़ी आबादी और निवेशकों की अरुचि के चलते यह उपक्रम अधिक फायदा भी नहीं पहुंचाएगा।

इसके बावजूद यदि सही बिजनेस मॉडल बनाया जाए तो जल संरक्षण का क्षेत्र विकास के कई अवसर पैदा कर सकता है। कृषि क्षेत्र जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है लेकिन इस क्षेत्र में नहरों से सिंचाई की पद्धति केवल 35 फीसद प्रभावी है और इसकी देखरेख करना बड़ी चुनौती है। सार्वजनिक सिंचाई प्रणाली के साथ काम करने वाले जल उद्योग जलीय स्रोतों से बड़ी मात्रा में पानी खरीदकर उसे सही माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं।

दूसरी चीज यह भी की जा सकती है। बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों की पहुंच भूजल तक नहीं है। ऐसे में इन किसानों को अनाधिकारिक भूजल बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन क्षेत्रों में छोटी कंपनियां सौर ऊर्जा अथवा बिजली से संचालित बड़े ट्यूबवेल लगा सकती हैं और किसानों को जरूरत पड़ने पर जल उपलब्ध करा सकती हैं। तीसरे तरीके के तहत बड़े शहरों व छोटे कस्बों से रोजाना बड़ी मात्रा में जो दूषित पानी निकलता है, उसे शोधित करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक घरों से निकलने वाले सिर्फ 30 फीसद दूषित पानी का शोधन किया जाता है। बाकी बचे पानी को नदियों व नहरों में बहा दिया जाता है। इससे प्राकृतिक संसाधन दूषित होते हैं और बीमारियां फैलती हैं। यही दूषित जल कई जगहों पर सिंचाई और मछली पालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंगापुर जैसे देशों में जल कंपनियां दूषित जल का शोधन करके 'न्यूवॉटर' बना रही हैं, जिसे उद्योगों, जनोपयोगी सेवाओं व शहरी निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में नगरपालिकाओं द्वारा इस दूषित जल को शोधित कर इसे व्यापार का रूप दिया जा सकता है। आखिरकार, देश में बोतल बंद पानी का व्यापार फल-फूल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों और शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को साफ पानी उपलब्ध नहीं है। इन लोगों को साफ पानी के लिए धन व समय दोनों खर्चने पड़ते हैं। ट्यूबवेल लगाकर और जल आपूर्ति तंत्र बनाकर छोटी जल कंपनियां ऐसी सुरक्षित और सस्ती जल वितरण प्रणाली विकसित कर सकती हैं, जिससे जल उपक्रमों और गरीब उपभोक्ताओं दोनों को फायदा पहुंचेगा।

ऐसी उम्मीद है कि जब भारतीय प्रधानमंत्री इजरायल यात्रा पर जाएंगे तो वहां से जल संरक्षण से जुड़े कुछ उपाय लेकर आएंगे, जिनसे देश में प्रभावी जल कानूनों और जल उपक्रमों के जरिए जल संरक्षण किया जा सकेगा।

जनमत

हां 91% | नहीं 09%
क्या बारहमासी बनती जा रही पेयजल समस्या के लिए सरकारों के साथ समाज का उदासीन रवैया भी जिम्मेदार है?

हां 94% | नहीं 06%
क्या खत्म होते जल स्रोत, गिरते भू-जल स्तर और प्रदूषित होते पानी से भविष्य की भयावह तस्वीर दिखाई देती है?

आपकी आवाज

हां, सरकार को कोई व्यापक अभियान चलाकर जनता में इसके लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए। लोगों को नदियों, तालाबों या अन्य जलस्रोतों पर अतिक्रमण करने से रोकना होगा।
विनय कुमार

पानी की अधिक मांग दिनोंदिन चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। इसलिए इसका उपयोग उचित तरीके से किया जाना चाहिए।
प्रथमेश कश्यप

जल की बर्बादी रोकने के लिए केवल सरकार ही सबकुछ नहीं कर सकती। तत्काल रूप से सामाजिक आंदोलन शुरू होना चाहिए। इससे जल संचय जैसी जागरूकता फैलाई जाए।
अमन कुमार

तन-मन-धन से हों प्रयास

जलगुरु महेंद्र मोदी
अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) लखनऊ

भारतीय संविधान की धारा 51 (क) में जल एवं पर्यावरण संरक्षण को हमारा संवैधानिक कर्तव्य बताया गया है। जल संरक्षण के लिए आवश्यक है कि उसे कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया जाए।

बूंद-बूंद बचाने के लिए अब समय आ गया है कि भारतीय संविधान की धारा 51 (क) में उल्लखित जल एवं पर्यावरण संरक्षण के हमारे संवैधानिक कर्तव्य को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया जाए। नर्सरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक सभी शैक्षणिक संस्थाओं में जल एवं पर्यावरण संरक्षण को अनिवार्य विषय बनाया जाए।

सभी संवर्गों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आचरण नियमावली में संशोधन कर जल एवं पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा जाए। हमें तत्काल वर्षा जल संरक्षण विभाग बनाना होगा। देश के प्रत्येक विकास खंड में भू-जलस्तर को ऊपर उठाने वाले नागरिकों को प्रत्येक वर्ष सम्मानित किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत व वार्ड में जल संरक्षण उत्सव भी प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसके अलावा जल संरक्षण कानूनों को कड़ाई से लागू कराया जाए। कानून के प्रावधान के तहत जो लोग बारिश के पानी को अपनी छत के माध्यम से नहीं सहेज रहे हैं, उनके खिलाफ कड़े आर्थिक प्रावधान किए जाएं। जल प्रबंधन की योजना को प्रभावी बनाने के लिए देश की आबादी को चार भाग में बांटा जाए। पहला हो उच्च आय वर्ग (25 फीसद आबादी)। इनके लिए अपनी ही आय के स्रोत से घर व प्लाट में जल प्रबंधन अनिवार्य किया जाए। 2018 तक रिचार्जिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करें। यदि वे निर्धारित अवधि तक योजना क्रियांवित नहीं करते हों तो इनका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स आदि बढ़ा दिया जाए। दूसरे मध्य आय वर्ग (25 फीसद) की आबादी को आसान किश्तों में भुगतान लायक ब्याज रहित ऋण दिया जाए। तीसरे निम्न आय वर्ग की आबादी (30-40 फीसद) के लिए सरकारी वित्तीय प्रावधान से जल संरक्षण जलाशय बनवाया जाए। लागत मूल्य देकर रिचार्ज ट्रेंच स्वयं मकान या खेत के मालिक द्वारा बनाया जाए। सरकार इनके लिए सरकारी मकान में शुद्ध वर्षा जल योजना के अंतर्गत शुद्ध वर्षा जल टंकी बनाए। शेष आवास विहीन आबादी (10-15 फीसद) के लिए सिर्फ बिना सीमेंट की छत का निर्माण करके जल संचय प्रणाली लागू की जाए। इन्हें वर्ष 2022 तक आवास दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। इन आवासों में सरकारी खर्च से शुद्ध वर्षा जल टंकी बनाई जाए।

जनहित जागरण
जितने सूरज उतने सवेरे
देश हित में दैनिक जागरण की पहल
www.janhitjagran.com

दैनिक जागरण

तरक्की के इरादों को चाहिए
आपकी सोच की शक्ति।

दैनिक जागरण के 7 सरोकार
सुशिक्षित समाज | जल संरक्षण | जनसंख्या नियोजन | गरीबी उन्मूलन | नारी सशक्तिकरण | पर्यावरण संरक्षण | स्वस्थ समाज
राष्ट्र निर्माण में दैनिक जागरण की पहल जनहित जागरण से जुड़िए और सामाजिक उद्यमी बनकर देश के विकास को एक नया आयाम दीजिए।

बदलाव आपसे शुरू होता है!
उन्नत देश और उन्नत समाज के लिए यदि आपके पास उपरोक्त दैनिक जागरण के सात सरोकारों से जुड़ी अनूठी योजना हो तो जनहित जागरण में हमारे भागीदार बनें।

निर्णायक मंडल द्वारा चयनित योजना/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹10 लाख तक की सहयोग राशि, कार्यान्वयन के दौरान समय-समय पर आवंटित की जायेगी।

कौन भाग ले सकता है?
कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन जिसके पास उपरोक्त सरोकारों से जुड़े कोई अनूठे उपाय हैं।
हेल्पलाइन
भाग लेने या परामर्श के लिए कॉल करें 8250380353 या ई-मेल करें: info@janhitjagran.com
कैसे भाग लें?
• आप दैनिक जागरण कार्यालय अथवा www.janhitjagran.com से भी एन्ट्री फॉर्म ले सकते हैं।
• फॉर्म को पूरा भरकर निम्न पते पर भेजें -
श्रीष दीक्षित, जनहित जागरण ऑफ़िस, स्ट्रैटेजी एंड ब्रैंड डेवलपमेंट, जागरण प्रकाशन लिमिटेड, 50, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज़-3, नई दिल्ली-110020
*नियम व शर्तें लागू। सरकारी कर लागू।

जनहित जागरण से जुड़ने के लिए:
/janhitjagran | /janhitjagran

एंट्री Yeppar ऐप के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं।
स्टेप 1 मोबाइल में डाउनलोड कीजिए Yeppar ऐप।
स्टेप 2 ऐप की मदद से जनहित जागरण लोगो को स्कैन कीजिए।
स्टेप 3 सीधे अपनी एंट्री जमा करें।

McCann/DJ/4/16

Strategic Partner: Partners: IIT Indian Institute of Technology | PHDCCI Knowledge Partner | Pradan | WaterAid | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization | Aligarh Muslim University | STiR education Empowering Teachers to be Changemakers | PUBLIC HEALTH FOUNDATION OF INDIA | Deshpande Foundation